विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए यौन शिक्षा

रश्मि कुमारी राजौरा*

शिक्षा का समाज एवं व्यक्ति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि आज की युवा पीढ़ी यौन शिक्षा के अभाव तथा मिथ्या धारणाओं के जाल में फँसते हुए भटक गई है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औपचारिक यौन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि यौन शिक्षा के द्वारा बच्चों को यौन अवस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों के साथ-साथ यौन क्रियाओं के प्रति जागरूक किया जा सकता है। जिससे वे काल्पनिक तथा वास्तविक दुनिया के मध्य का अंतर समझ सकें। साथ ही, इसके माध्यम से बच्चों में संवैधानिक एवं सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए शारीरिक संबंधों के प्रति समझ विकसित की जा सकती है। प्राय: यह देखा गया है कि किशोरों एवं युवाओं द्वारा यौन शिक्षा की प्राप्ति औपचारिक शिक्षा के बजाय अनौपचारिक माध्यमों से अधिक की जा रही है। इस प्रकार अनौपचारिक माध्यम से बच्चों में नकारात्मक अवधारणाओं का विकास हो रहा है। फलस्वरूप आज देश व समाज में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से देश में यौन शोषण से जुड़ी शर्मनाक व दर्दनाक घटनाओं से परिचित होते हैं। इसलिए किशोरों एवं युवाओं को यौन शिक्षा का गुणवत्तापरक ज्ञान आवश्यक है। अत: यौन शिक्षा से जुड़ी विषयवस्तु को कक्षावार निर्धारित पाठ्यक्रम में उपयुक्त विषयों की विषयवस्तु के साथ एकीकृत कर पढ़ाया जाना चाहिए। इसी पर आधारित इस लेख में देश के बेहतर भविष्य अर्थात मानवीय नागरिक बनाने में यौन शिक्षा के महत्व का वर्णन किया गया है।

यौन शिक्षा यौन से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में बताती है। इसमें यौन से जुड़ी भावनाएँ, ज़िम्मेदारियाँ, मनुष्य की शारीरिक संरचना, यौन क्रियाकलाप, मानव यौन व्यवहार, प्रजननता और इसके लिए सही उम्र, प्रजनन के अधिकार, सुरक्षित शारीरिक संबंध, जन्म नियंत्रण, यौनावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलावों और युवाओं को जेंडर से जुड़े विषयों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। यौन शिक्षा सिर्फ़ यौन संबंधी शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें स्वस्थ रहकर आगे बढ़ना, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य कल्याण, पारस्परिक संबंध, जेंडर समानता, प्रजनन स्वास्थ्य एवं यौन संचरित रोगों से बचाव एवं रोकथाम आदि के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। मनुष्य में यौन इच्छाएँ उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के सभी कार्यों में से एक है। परंतु हमारे रूढ़िवादी समाज में बालक और बालिकाओं को यौन शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। फलस्वरूप वे इसे सामाजिक निषेध की जानकारी मानकर इसके

**कनिष्ठ परियोजना अध्येता*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली 110016

विषय में अवास्तविक तथा भ्राँतिपूर्ण जानकारी चोरी-छुपे प्राप्त करते हैं। आजकल मीडिया, कई वेब सीरीज, और अन्य लघु फ़िल्में युवाओं को यौन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन उचित यौन शिक्षा प्रदान नहीं करती हैं, युवा पीढ़ी के लिए जोखिमपूर्ण है। इसमें उनके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

युवा पीढ़ी को यौन संबंधी मूल्य आधारित यौन शिक्षा प्रदान कर युवावस्था में भटकाव से बचाते हुए ज़िम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है। ऐसे में यौन शिक्षा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना की दूसरे विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। यौन शिक्षा और अध्यापकों के द्वारा बच्चों को यौनावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों के साथ-साथ यौन क्रियाओं के प्रति जागरूक किया जा सकता है। अधिकांशत: समाज में बालक तथा बालिकाओं को एक-दूसरे से अंतर्क्रिया करने के लिए भी अवसर कम दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, समाज के रूढ़िवादी परिवेश में यह विषय अपनी जगह बनाने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप युवाओं में स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है तथा वे तनाव के शिकार और दिशाहीन हो जाते हैं। परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की भ्राँतियाँ और गलत धारणाएँ व्याप्त हो जाती हैं।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार यौन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जिसमें बालक को उसकी विभिन्न अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से काम प्रवृत्ति की संतुष्टि व अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसरों को प्राप्त करने तथा उचित विधियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशन व शिक्षा प्रदान की जाती है। ताकि वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा एवं वृद्धि करते हुए आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें (सिंह और अन्य 2020)।

हम बच्चों को देश का भावी कर्णधार कहते हैं। लेकिन आज इन भावी कर्णधारों का कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में भयंकर शोषण हो रहा है। आज देश की बाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शोषण एवं यौन दुर्व्यवहार का शिकार है। बच्चे, चाहे वह बाल्यावस्था के ही क्यों न हो, वे भी यौन दुर्व्यवहार के शिकार हो सकते हैं (सिंह और अन्य 2020)। वहीं मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे इस दुर्व्यवहार के अधिक शिकार हो सकते हैं। बाल यौन दुर्व्यवहार जेंडर, वर्ग, जाति, समुदाय तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आदि सभी बंधनों को तोड़ देता है। बच्चों के साथ यौन-दुर्व्यवहार जान-पहचान के आदमी या अजनबी दोनों द्वारा किया जाता है। कई मामलों में बच्चों से दुर्व्यवहार करने वाले उनके बहुत करीबी लोग, जैसे— उनके पिता, बड़े भाई, चचेरा भाई, चाचा या पड़ोसी होते हैं।

यौन दुर्व्यवहार के अधिकतर मामलों में शोषणकर्ता वह व्यक्ति होता है, जिसे बच्चे जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और वे इसी बात का लाभ उठाते हैं। यदि दुराचारी परिवार का ही सदस्य हो, तो यह कौटुंबिक व्यभिचार होगा। दुर्व्यवहार के बारे में बच्चों द्वारा प्रकट किए गए अधिकांश मामले सही होते हैं। बच्चों के साथ हुए व्यभिचार या यौन दुर्व्यवहार के मामले को आज भी समाज या उनके अभिभावकों द्वारा काल्पनिक कहानी मानकर पीड़ित बच्चे को ही दोषी ठहराया जाता है तथा पीड़ित बच्चे की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, जिसे तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1— बाल शोषण के विभिन्न प्रकार

शारीरिक शोषण	यौन शोषण	भावनात्मक शोषण	बाल उपेक्षा
• थप्पड़ मारना/लात मारना • डंडे से पीटना • धक्का देना	• यौन हमला • बच्चे के जननांगों से प्यार कराना • शरीर के निजी अंगों का प्रदर्शन कराना एवं नग्न अवस्था में बच्चों की फ़ोटो खींचना • यौन उन्नति • जबरन चुंबन • बच्चे को अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना	• बच्चे के आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाली उपेक्षा, चिल्लाने या अशिष्ट रूप से बोलने से अपमान व कठोर व्यवहार • अभद्र भाषा का प्रयोग करके नाम पुकारना • भाई-बहनों और अन्य बच्चों के बीच तुलना	• बालिकाओं पर ध्यान न देना • परिवार में बालिकाओं को भोजन का कम हिस्सा देना • बालिकाओं द्वारा छोटे और बड़े भाई बहनों की देखभाल करना • जेंडर भेदभाव

तालिका 2— शारीरिक शोषण पर दर्ज की गई शिकायतों का प्रतिशत

क्र.सं.	विषय	दिल्ली राज्य का प्रतिशत	शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत	शोध में शामिल राज्यों का न्यूनतम प्रतिशत
1.	एक या अधिक स्थितियों में शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चे	83.12%	84.65%	51.20%
2.	लड़कों द्वारा शारीरिक शोषण की रिपोर्ट	91.04%	91.04%	47.61%
3.	लड़कियों द्वारा शारीरिक शोषण की रिपोर्ट	72.54%	84.23%	49.69%
4.	5–12 वर्ष की आयु के बीच शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चे	50.30%	59.73%	33.83%
5.	पारिवारिक वातावरण में बच्चों द्वारा शारीरिक शोषण पर की गई रिपोर्ट	लड़का— 64.29% लड़की— 35.71%	लड़का— 80% लड़की— 60.36%	लड़का— 39.64% लड़की— 20%
6.	शारीरिक दंड के रूप में शारीरिक शोषण	69.11%	99.56%	0.44%

स्रोत— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2007

तालिका 1 (पृष्ठ संख्या 67) से स्पष्ट होता है कि बच्चों का शोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार से होता है। जिसकी व्यापकता आगे चलकर अर्थात किशोरावस्था में बढ़ जाती है और वे मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं। इसे तालिका 2 (पृष्ठ संख्या 67) एवं 3 (पृष्ठ संख्या 69) में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह आँकड़े महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल शोषण पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित हैं। यह आँकड़े दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (www.delhipolice.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं। इस शोध अध्ययन में देश को छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया था— उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व तथा आँकड़ों का स्रोत राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो रिकार्ड था। इसमें देश के 13 राज्यों के 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आँकड़े थे। इन आँकड़ों को तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2 (पृष्ठ संख्या 67) में दर्शाया गया है कि एक या अधिक स्थितियों में शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 83.12 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 84.65 तथा न्यूनतम प्रतिशत 51.20 था। वहीं लड़कों द्वारा शारीरिक शोषण की रिपोर्ट में दिल्ली राज्य का प्रतिशत 91.04 पाया गया। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 91.04 तथा न्यूनतम प्रतिशत 47.61 था और लड़कियों द्वारा शारीरिक शोषण की रिपोर्ट में दिल्ली राज्य का प्रतिशत 72.54 पाया गया। शोध में शामिल राज्य का उच्चतम प्रतिशत 84.23 एवं न्यूनतम प्रतिशत 49.69 था। वहीं 5 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बीच शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 50.30 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 59.73 तथा न्यूनतम प्रतिशत 33.83 था। पारिवारिक वातावरण में बच्चों द्वारा शारीरिक शोषण पर की गई रिपोर्ट में दिल्ली राज्य का प्रतिशत लड़कों द्वारा 64.29, लड़कियों द्वारा 35.71 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों में उच्चतम प्रतिशत लड़कों का 80.00, लड़कियों का 60.36 तथा न्यूनतम प्रतिशत लड़कों का 39.64, लड़कियों का 20.00 था। वहीं शारीरिक दंड के रूप में शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 69.11 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 99.56 तथा न्यूनतम प्रतिशत 0.44 था।

वहीं तालिका 3 (पृष्ठ संख्या 69) में दर्शाए गए आँकड़े यौन शोषण से संबंधित हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों, दोनों द्वारा उनके साथ हुए यौन शोषण के मामलों की शिकायतों को प्रस्तुत किया गया है। इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि यौन हमले की शिकार सिर्फ़ लड़कियाँ ही नहीं होती बल्कि लड़के भी होते हैं। यद्यपि लड़कियों की स्थितियाँ और अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि समाज द्वारा उन्हें निचले दर्जे का माना जाता है। वहीं लड़के भी स्कूल और घर, दोनों जगह शारीरिक दंड के शिकार होते हैं तथा उनमें से कई लड़कों को बाल-श्रम के लिए बेच दिया जाता है या फिर उनका यौन शोषण किया जाता है।

तालिका 3— यौन शोषण पर दर्ज की गई शिकायतों का प्रतिशत

क्र.सं.	विषय	दिल्ली राज्य का प्रतिशत	शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत	शोध में शामिल राज्यों का न्यूनतम प्रतिशत
1.	यौन शोषण की रिपोर्टिंग	लड़का— 65.64% लड़की— 34.36%	लड़का— 65.64% लड़की— 63.41%	लड़का— 36.59% लड़की— 34.36%
2.	यौन हमले की रिपोर्टिंग	14.77%	14.77%	0.40%
3.	5–12 वर्ष की आयु वर्ग के बीच यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने वाले बच्चे	21.68%	50.00%	21.05%
4.	5–12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शरीर के निजी अंगों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करने संबंधी रिपोर्ट	40.86%	50.00%	13.24%
5.	5–12 वर्ष के बीच के बच्चों की नग्न तस्वीरें खींचने की रिपोर्ट	52.71%	66.67%	14.29%
6.	5–12 वर्ष के बीच के बच्चों को जबरन चुंबन करने की रिपोर्ट	48.46%	56.22%	15.00%
7.	यात्रा के दौरान यौन शोषण की रिपोर्ट कराने वाले बच्चे	44.11%	48.21%	9.85%
8.	शादी की स्थिति के दौरान यौन शोषण की रिपोर्ट कराने वाले 5–12 वर्ष के बच्चे	48.07%	48.84%	15.56%

स्रोत— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2007

तालिका 3 में दर्शाया गया है कि दिल्ली राज्य में यौन शोषण की रिपोर्टिंग करने वाले बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 65.64, लड़कियों का प्रतिशत 34.36 था। वहीं शोध में शामिल राज्यों के उच्चतम प्रतिशत में लड़कों का प्रतिशत 65.64, लड़कियों का प्रतिशत 63.41 एवं न्यूनतम प्रतिशत में लड़कों का प्रतिशत 36.59, लड़कियों का प्रतिशत 34.36 था। यौन हमले की रिपोर्टिंग में दिल्ली राज्य का प्रतिशत 14.77 था जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 14.77 तथा न्यूनतम प्रतिशत 0.40 था। वहीं 5–12 वर्ष की आयु वर्ग के बीच यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 21.68 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 50.00 एवं न्यूनतम प्रतिशत 21.05 था। 5–12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शरीर के निजी अंगों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करने संबंधी रिपोर्ट का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 40.86 था। जबकि शोध में शामिल

राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 50.00 एवं न्यूनतम प्रतिशत 13.24 था। 5–12 वर्ष के बीच के बच्चों की नग्न तस्वीरें खींचने की रिपोर्ट 52.71 प्रतिशत दिल्ली राज्य में की गई। वहीं शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 66.67 एवं न्यूनतम प्रतिशत 14.29 था। 5–12 वर्ष के बीच के बच्चों को जबरन चुंबन करने की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 48.46 था। वहीं शोध में शामिल राज्य का उच्चतम प्रतिशत 56.22 एवं न्यूनतम प्रतिशत 15.00 था। यात्रा के दौरान यौन शोषण की रिपोर्ट कराने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य में प्रतिशत 44.11 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 48.21 एवं न्यूनतम प्रतिशत 9.85 था। शादी की स्थिति के दौरान यौन शोषण की रिपोर्ट कराने वाले 5–12 वर्ष के बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 48.07 था। शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 48.84 एवं न्यूनतम प्रतिशत 15.56 था।

अत: तालिका 2 व 3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को यौन शिक्षा को विभिन्न विषयों के साथ समन्वय कर या अलग से प्रकरण या विषय के रूप में पढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

यौन शिक्षा की आवश्यकता

आज के आधुनिक युवाओं को सही मार्गदर्शन देने एवं मूल्य आधारित यौन शिक्षा देना हमारी शिक्षा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे के जीवन पर ज्ञान एवं बोध प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है। अत: यौन शिक्षा से बच्चे निम्न प्रकार जागरूक होंगे—

- यौन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अपने जननांगों की कार्य क्षमता और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
- इसके माध्यम से बच्चों में शारीरिक संबंधों के प्रति समझ पैदा होगी, जिससे वे गलत दिशा में कदम बढ़ाने से बच सकेंगे।
- यौन शिक्षा से बच्चों में इस बात की भी समझ विकसित होगी कि यौन क्रिया में भागीदारी की सही उम्र क्या है। और सही उम्र से पहले इस क्रिया में भागीदारी कितनी नुकसानदेह हो सकती है।
- इससे बच्चों में काल्पनिक तथा वास्तविक यौन दुनिया के मध्य अंतर की समझ विकसित होगी।
- यौन इच्छाओं तथा शारीरिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में समझ विकसित होगी, जिससे उनमें तनाव उत्पन्न नहीं होगा।
- इसके अध्ययन से विद्यार्थियों में विपरीत जेंडर के प्रति आदर की भावना विकसित होगी जो यौन जनित अपराधों पर नियंत्रण में सहायक होगी।
- यौन शिक्षा से विद्यार्थी अश्लील एवं भ्रमात्मक मीडिया तथा साहित्य एवं क्रियाकलापों की ओर आकर्षित नहीं होंगे।
- इसके माध्यम से विद्यार्थियों में यौन संचरित रोगों के बारे में जागरूकता आएगी तथा वे एच.आई. वी./एड्स (HIV/AIDS) जैसी घातक यौन जनित संक्रामक बीमारी के प्रति भी सतर्क होंगे।
- इस विषय के अध्ययन से बालिकाओं को विद्यालय, घर तथा अपने आस-पास सुरक्षा की अनुभूति होगी।

- यौन शिक्षा के अध्ययन से विद्यार्थी उचित और अनुचित स्पर्श को पहचानना सीख सकेंगे, जिससे वे भविष्य में अपने साथ होने वाले शोषण के प्रति सतर्क होकर शिकायत करने में सक्षम होंगे।

यौन शोषण पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2011 रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर 155 मिनट पर 16 से कम उम्र के एक बच्चे तथा प्रत्येक 13 घंटों पर 10 से कम उम्र के एक बच्चे का यौन शोषण होता है। इसके अलावा कई बलात्कार और दुर्व्यवहार के मामले दर्ज नहीं होते हैं, विशेषकर बच्चों के मामले में, क्योंकि वे शायद समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में बाल शोषण के 47,221 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में अधिकतर पीड़ित लड़कियाँ ही थीं। भारत में पहली बार *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012* में बच्चों के खिलाफ गैर-स्पर्श व्यवहार को विनियमित करने और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है, बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम में पाँच प्रकार के यौन अपराध उल्लिखित किए गए हैं, जिसमें भेदन यौन हमला, उत्तेजित भेदन यौन हमला, यौन हमला, उत्तेजित यौन हमला व यौन उत्पीड़न शामिल है। इसके अलावा बार-बार या लगातार पीछा करना, निगरानी रखना, सोशल मीडिया या अन्य किसी साधन से बालक से संबंध स्थापित करना, यौन उत्पीड़न है एवं दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार, किसी बालक को अश्लील सामग्री के लिए प्रयुक्त करना, जैसे— यौन अंगों का प्रदर्शन करना, उत्तेजित यौन कार्य में बालक को संलिप्त कर प्रयोग करना, बालक का अभद्र एवं अश्लील प्रदर्शन करना भी इस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध है (*लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम*, 2012)।

देश में लड़कियों के विरूद्ध बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक जीवन कौशल है, जो लड़कियों को अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहने में मदद करता है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से लड़कियों को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से इतना मज़बूत बनना सिखाया जाता है कि वे संकट के समय में अपनी रक्षा कर सकें। आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीक लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करती है और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करती है, विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उनके संक्रमण और विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत लड़कियों के नामांकन के आधार पर सरकारी विद्यालयों में प्रति तीन माह के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राशि ₹ 3000 प्रदान की जाती है। यह प्रशिक्षण कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को दिया जाता है। लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुओं, जैसे— चेन, दुपट्टा, स्टॉल, मफलर, बैग, पेन/पेंसिल, नोटबुक आदि को हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं की आत्मरक्षा

प्रशिक्षण के लिए धन प्राप्त करने के प्रयास, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार; पुलिस विभाग; होमगार्ड; एनसीसी या अन्य राज्य सरकार की योजनाओं के तहत; या निर्भया फंड के तहत कर सकते हैं।

यूनेस्को (2000) द्वारा दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में एड्स शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम में यूनेस्को ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में एड्स शिक्षा विषय पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाया गया कि विद्यार्थी यौन शिक्षा की प्राप्ति परिवार औपचारिक रूप से माता-पिता, भाई-बहन तथा अन्य सदस्यों, विद्यालय में अध्यापक एवं अनौपचारिक रूप में मित्र मंडली तथा हमउम्र एवं मुद्रित जनसंचार के साधन, जैसे— समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पैंफलेट, इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के साधनों जैसे— दूरदर्शन, चलचित्र, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल) दोनों ही माध्यमों द्वारा की जा रही है। परंतु औपचारिक रूप से प्रदान की जाने वाली यौन शिक्षा समुचित, सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। जबकि अनौपचारिक रूप से जो यौन शिक्षा प्राप्त होती है, वह काल्पनिक तथा भ्राँतिपूर्ण हो सकती है। इसलिए यौन शिक्षा द्वारा स्वस्थ जेंडर एवं यौन धारणाओं के विकास हेतु औपचारिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व है।

सामान्यत: किशोर-किशोरियों की अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। भारतीय परिवारों में काम प्रवृत्ति को एक वर्जित विषय माना जाता है तथा इस विषय पर चर्चा करने व संकोच का अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि भारतीय परिवेश में किशोर-किशोरियों की यौन शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए इस विषय की अज्ञानता व अनभिज्ञता का प्रायः किशोर-किशोरियों पर घातक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में किशोरावस्था के दौरान विद्यार्थियों को मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है जिससे उनकी काम प्रवृत्ति की सोच को तर्कसंगत दिशा की ओर ले जाया जा सके। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में बताया गया है कि किशोर शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाहित किए जाने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जाती रही है। परंतु सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील विषय होने के कारण इसे पाठ्यचर्या में लागू करने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। किशोर-किशोरियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। चूँकि इन आवश्यकताओं का संबंध यौन या यौनिकता से है जो सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, विद्यार्थियों को उचित सूचना पाने के अवसरों से वंचित रखा जाता है। चूँकि यौन संबंधी उनकी समझ सुनी-सुनाई बातों, मिथकों या भ्रांतिपूर्ण धारणाओं पर आधारित होती है, वे संकटजनक स्थितियों में पड़ जाते हैं। इससे नशीले पदार्थ या उनमें एच.आई.वी. एड्स संक्रमण आदि का खतरा बढ़ जाता है। आयु-आधारित और संदर्भ विशिष्ट हस्तक्षेपों को जगह दी जाए, जो किशोर के यौन स्वास्थ्य से संबंधित हो ताकि एच.आई.वी. एड्स और नशे की आदतों से उन्हें सावधान किया जा सके। इसलिए बच्चों को इस संबंध में ज्ञान बढ़ाने और जीवन के कौशल सिखाने की दिशा में प्रयास आवश्यक है,

ताकि वे बढ़ती उम्र की समस्याओं से जूझ सकें। प्राथमिक स्तर पर इसकी विषयवस्तु भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन तथा उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समावेशित की जा सकती हैं। विज्ञान की पाठ्यचर्या का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रमुख लाभ यह होगा कि समाज द्वारा किशोर शिक्षा को अलग दृष्टि से नहीं देखा जाएगा (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*)

अक्सर आज भी कई लोग सेक्स (यौन संबंधित शब्द) का नाम सुनते ही शर्म से आँखें झुका लेते हैं या फिर इस बारे में अपने बच्चों से बात करने में हिचकिचाते हैं। दुर्भाग्य से विद्यालयी शिक्षा में आज भी यौन शिक्षा केवल जलीय जंतु एवं जानवरों के उदाहरणों तक ही सीमित है। सामान्यत: विद्यालयों में अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा 8, 9 और 10 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में मानवों में प्रजनन प्रकिया पर दिए गए पाठों को पढ़ाते समय संपूर्ण जानकारी पढ़ाने के बजाय बहुत कम जानकारी पढ़ाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि विज्ञान विषय की महिला अध्यापिका या तो किसी पुरुष अध्यापक तथा पुरुष अध्यापक किसी महिला अध्यापिका को उन पाठों को पढ़ाने के लिए सौंप देते हैं। अध्यापक कभी-कभी इन पाठों को न पढ़ाकर विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेखिका को आज भी 13 वर्ष पूर्व की बात याद है, कक्षा की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ 9—'जंतुओं में जनन' और पाठ 10—'किशोरावस्था की ओर' पाठ में दिए गए चित्रों को देखकर कक्षा के विद्यार्थी अपने-अपने अनुमान लगाते थे और हँसते थे। उन्हें यौन शिक्षा का अनौपचारिक ज्ञान था कि यह पाठ मनुष्य के यौन, लिंग आदि पर आधारित है। हमारे विज्ञान के अध्यापक दूसरे अनुभाग (सेक्शन) की अध्यापिका से पाठों को पढ़ाने का अनुरोध करते थे और अध्यापिका उनकी बात को नकारते हुए कहती थी—"मैंने अपनी कक्षा में भी ये पाठ नहीं पढ़ाए आप भी विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए दे दीजिए और आप केवल प्रश्न-उत्तर करवा दीजिए।" इसी कारण बच्चों में और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि क्या इस पाठ में कुछ गलत जानकारी है? ये पाठ कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाया गया? आदि।

हालाँकि कक्षा 10 में उक्त परिस्थिति में कुछ बदलाव आया। अब लेखिका के सहपाठी अपने बड़े भाई-बहनों से पाठ को पढ़कर आते थे व कक्षा में चर्चा करते थे, जिससे कई कल्पनाओं का जन्म होता था, क्योंकि उनके भाई-बहन भी उन्हें अधूरा ज्ञान प्रदान करते थे। विज्ञान विषय का पाठ 8— 'जीव जनन कैसे करते हैं' और पाठ 9— 'अनुवांशिकता एवं जैव विकास' को अध्यापक आधा-अधूरा पढ़ा कर उनके प्रश्न-उत्तर करवा देते थे। अत: कक्षा 8 से 10 तक, यह पाठ हमेशा अधूरे ज्ञान, सही मार्गदर्शन के अभाव, अध्यापकों की झिझक एवं शर्म के कारण हँसी के पात्र बनते रहे और विद्यार्थी भ्रांतिपूर्ण एवं अपूर्ण जानकारी प्राप्त करते थे। यहाँ तक की लड़कियों को अपने मासिक धर्म के समय लज्जा का सामना करना पड़ता था या विद्यालय से अवकाश लेना पड़ता था। हालाँकि वर्तमान में यौन शिक्षा की कुछ विषयवस्तु विद्यालयी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। परंतु 13 वर्ष पश्चात भी यौन शिक्षा से जुड़ी परिस्थितियों में

सामान्यतः बदलाव नहीं आया है। लेखिका द्वारा इस विषय पर विद्यार्थियों एवं अध्यापकों से चर्चा के दौरान पाया गया कि आज भी विद्यालयों में इन विषयों को पढ़ाने में संकोच किया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा एक संयुक्त विषय के रूप में दी जानी चाहिए, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर से अधिक उन्नत तकनीकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य जिसमें प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य भी शामिल हो (पृष्ठ. 55)। परंतु आज भी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य की शिक्षा की परिस्थितियों में अधिक परिवर्तन नहीं आया है। अध्यापक मानव तंत्र से संबंधित पाठों को पढ़ाने में झिझक महसूस करते हैं। जिसके फलस्वरूप, विद्यार्थियों की सोच और नज़रिए पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत: यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को मूलभूत शिक्षा के साथ-साथ यौन शिक्षा भी दी जाए।

अगर बच्चों से यौन शिक्षा से जुड़े विषयों पर बात नहीं करेंगे या उन्हें इस विषय से अवगत नहीं कराएँगे, तो वे अपनी उम्र के अनुसार अन्य माध्यमों, जैसे— मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से गलत और भ्रामक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए बच्चों को उनकी उम्र व मानसिक समझ के अनुसार यौन शिक्षा के अंतर्गत यौन क्रिया और यौन अंगों की क्रिया शैली व महत्व को समझाना होगा। यह बच्चों के बेहतर विकास और भविष्य के लिए आवश्यक है। इस विषयवस्तु को कक्षावार (कक्षाओं के अनुसार) निर्धारित पाठ्यक्रम में उपयुक्त विषयों की विषयवस्तु के साथ समावेशित कर पढ़ाया जाए। विशेषकर विज्ञान (जीव विज्ञान) तथा शारीरिक शिक्षा, योग एवं खेल की विषयवस्तु के साथ समावेशित कर पढ़ाया जाए। जेंडर शिक्षा के साथ भी इस विषयवस्तु को जोड़कर पढ़ाना सार्थक होगा।

भारत में एच.आई.वी. संक्रमण की वृद्धि दर को देखते हुए किशोर शिक्षा प्रदान करना और भी आवश्यक हो गया है। करोड़ों बच्चे आज या तो एच.आई.वी./एड्स के शिकार हैं या उससे प्रभावित हैं। बच्चों को एच.आई.वी./एड्स के बारे में जानकारी देकर उन्हें अपने आपको इस रोग से सुरक्षित रखने के उपाय बताए जा सकते हैं। एशिया में चीन के बाद भारत में एच.आई.वी. एड्स पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र एड्स संस्था के अनुसार भारत में 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 0.16 लाख बच्चे एच.आई.वी. के शिकार हैं। सेकन, 2004, बुक ऑन चाइल्ड सेफ्टी. (एच.आई.वी./एड्स) मादक पदार्थों का दुरुपयोग और एच.आई.वी./एड्स को एक सामाजिक स्वास्थ्य समस्या माना जाता है। बच्चों के बीच मादक पदार्थों का दुरुपयोग एक उभरती हुई समस्या है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में बच्चों द्वारा दुरुपयोग की जाने वाली पाँच सबसे आम दवाइयाँ हैं— हेरोइन, अफीम, शराब, कैनबिस और प्रोपाक्सीफिन (चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन)। इनके अलावा बच्चों द्वारा अन्य पदार्थों, जैसे— कफ सिरप, व्हाइटनर, दर्द निवारक मरहम, गोंद, पेंट, गैसोलीन, गीला कार्बन पेपर, फाइबर मैटिंग का मिश्रण और उबलता हुआ टूथपेस्ट जैसे उत्पाद बच्चों द्वारा दुरुपयोग किए जाते हैं। पदार्थों का विभिन्न तरीकों से दुरुपयोग किया जा सकता है। इन मादक द्रव्यों तथा पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम (कानून) बनाए गए हैं, जिनमें अग्रलिखित अधिनियम शामिल हैं—

मादक द्रव्य तथा विषैले पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस एक्ट, 1985)

यह कानून मादक द्रव्य तथा विषैले पदार्थों के उत्पादन, अपने पास रखने, उसे कहीं लाने-ले जाने, खरीद-बिक्री को अवैध घोषित करता है। साथ ही इस कार्य में जुड़े हुए व्यक्ति आदि या इसके अवैध व्यापार के लिए दंड का प्रावधान करता है।

मादक द्रव्य तथा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988

इस कानून के अनुसार जो व्यक्ति बालकों को मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार करने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें सहयोगी व षड्यंत्रकारी के रूप में गिरफ़्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

बाल-न्याय अधिनियम, 2000 (बच्चों की संरक्षा एवं सुरक्षा)

इस अधिनियम के भाग 2(डी) में मादक द्रव्यों के सेवन या व्यापार में लगे असहाय बच्चों को संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए ज़रूरतमंद बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के अध्यापकों और अध्यापक-प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री, आयुष्मान भारत के विद्यालय स्वास्थ्य घटक के भाग के रूप में विकसित की गई है *(विद्यालय जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण, 2020)*। यह सामग्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी सहायता इकाई के सहयोग में समन्वित कर विकसित की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र अभिकरण और राष्ट्रीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, विद्यालयों, अध्यापकों और स्वतंत्र सलाहकारों का सहयोग लिया गया था। इसमें कई सहभागी शिक्षार्थी-केंद्रित गतिविधियों, जैसे—खेल प्रश्नोत्तरी, केस स्टडी और भूमिका निर्वाह इत्यादि दी गई है। जिन्हें विद्यालय में आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके अलावा, विषयगत प्रदर्शनी, विषय के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा तथा शिक्षार्थियों को अपने सरोकारों को उजागर करने के लिए कॉमिक्स का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस सामग्री में 11 विषय सम्मिलित हैं, जैसे— स्वस्थ बढ़ना, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंध, मूल्य और नागरिकता, जेंडर समानता, पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली का प्रोत्साहन, प्रजनन स्वास्थ्य और एच.आई.वी.। एड्स की रोकथाम, हिंसा और चोटों के खिलाफ़ सुरक्षा तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना।

चाइल्ड लाइन

चाइल्ड लाइन, 24 घंटे की मुफ्त टेलीफ़ोन हेल्पलाइन सेवा है, जिसे संकट में कोई बच्चा या उसकी ओर से एक वयस्क, नंबर 1098 पर डायल करके मदद पा सकता है। यह संकट में या बाद में पीड़ित बच्चे को आपातकालीन सहायता और आउटरीच सेवाएँ प्रदान करता है। चाइल्ड लाइन पर कॉल प्राप्त करने के कुछ ही मिनटों में सहायता टीम बच्चे के पास जाती है और संकट से बचाव करती है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) की स्थापना मार्च 2007 में संसद द्वारा पारित बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। आयोग

का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकारों के अनुरूप हैं या नहीं। इस आयोग द्वारा बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग राज्य के लिए एक अनिवार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, सामुदायिक स्तर पर स्थानीय निकायों के स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए सम्मान और बच्चों की भलाई के लिए व्यापक सामाजिक सरोकार देखता है (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग)। बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उन्हें ऐसे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो सुरक्षित, संरक्षात्मक और विकास के लिए अनुकूल हो। विद्यालय की संरक्षा और सुरक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए न कि केवल ढाँचागत और भौतिक सुरक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए। शारीरिक दंड से आगे बढ़कर स्कूली सुरक्षा का मुद्दा और अधिक जटिल हो गया है, शारीरिक हिंसा, यौन-मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा, यहाँ तक कि ये चरम मामलों में मौत का कारण भी बन रहे हैं। विद्यालयों को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन, अध्यापकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और परामर्शदाताओं सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से जवाबदेही रूपरेखा के साथ व्यापक दिशा-निर्देश विकसित किए गए हैं। एक आदर्श स्थिति में, प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता नियुक्त किया जा सकता है, हालाँकि वर्तमान में देश में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी के कारण यह संभव नहीं है। इसलिए निष्ठा के अंतर्गत अध्यापकों को ही विद्यालय में पहले चरण के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए संवेदनशील बनाया जा रहा है। अध्यापकों को काउंसलिंग, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, जेजे एक्ट, विद्यालय सेफ्टी गाइडलाइंस, हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर, शिकायतों के लिए ड्रॉप-बॉक्स आदि पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय को हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबरों का एक बोर्ड तैयार कर लगाना अनिवार्य किया गया है (विद्यालय सुरक्षा, समग्र शिक्षा)।

परामर्शदाता के रूप में अध्यापक की भूमिका

आज की युवा पीढ़ी में जो जेंडर आकर्षण तथा यौन व्यवहारों के प्रति नकारात्मकता और मनमानेपन का भाव है। इस प्रकार के भावों पर नियंत्रण के लिए विद्यार्थियों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जा सकता है। अक्सर विद्यालय और समाज में जेंडर असमानता और यौन दुर्व्यवहारों, मादक पदार्थों की लत की खबरें देखने व सुनने को मिलती हैं। इसलिए विद्यालय में अध्यापक को एक परामर्शदाता, मार्गदर्शक और अभिभावक के रूप में भूमिका निभाना आवश्यक है। इसमें यौन शिक्षा की जानकारी एवं ज्ञान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे—

- विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक विकास के विषय में उचित जानकारी प्रदान करना तथा शैशवास्था में शारीरिक अंगों से बच्चों को परिचित कराना।
- बालक और बालिकाओं दोनों के साथ समान व्यवहार करना तथा उन्हें एक-दूसरे के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करने की सीख देना।
- बालक और बालिकाओं को साथ-साथ कार्य करने तथा खेलने-कूदने के अवसर प्रदान

करना तथा यौन जनित संक्रामक रोगों की अवधारणाओं में व्याप्त भ्रम और त्रुटि को दूर कर सही ज्ञान प्रदान करना।

- समय-समय पर बालक और बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में बात करना एवं उनकी समस्याओं का समाधान विद्यालय में ही करना।
- यौन शिक्षा पर अध्यापक द्वारा सार्थक जानकारी प्रदान करना तथा बच्चों के सभी सवालों के जवाब बिना झिझक देना।
- बच्चों को संयमित भाषा में यौन शिक्षा के बारे में शिक्षा देना ताकि बच्चे अध्यापक के शब्दों का गलत अर्थ न निकालें।
- लड़के-लड़कियों को एक साथ बिठाकर उन्हें यौन शिक्षा के बारे में बताना ताकि बाद में वे इस मुद्दे पर बेझिझक बात कर सकें।
- यौन शिक्षा के बारे में बताते समय स्केच, डायग्राम, स्लाइड आदि का प्रयोग करना और यह भी ध्यान रखना कि बच्चों के सामने पोर्नोग्राफी आदि जैसी तस्वीरों का इस्तेमाल न हो।
- बच्चों को उचित और अनुचित स्पर्श को पहचानना सिखाना तथा अनुचित स्पर्श होने पर किसी विश्वसनीय वयस्क या परिवार के सदस्य को सूचित करने की सलाह देना।
- विद्यार्थियों को समय-समय पर ऐसे परियोजना कार्य देना, जो समाचार पत्रों, सामाजिक घटनाओं के तथ्यों पर आधारित हो तथा उन घटनाओं और समस्याओं से निपटने के उपाय विद्यार्थियों के साथ साझा करना।
- अभिभावक बच्चों के साथ हुई घटनाओं एवं दुर्व्यवहार की बातों को छिपाने के बजाय उसका खुलकर विरोध करें, जिससे बच्चा आत्मविश्वास महसूस करेगा और समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे शिक्षित होगा एवं अपराधी भी अपराध करने से पहले कई बार सोचेगा।
- अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को यौन शिक्षा देना तथा नुक्कड़ नाटकों, रोलप्ले और गतिविधि आधारित कार्य आदि उन्हें कार्यशाला, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी अथवा मनोरंजनात्मक क्रियाओं द्वारा यौन संबंधी ज्ञान प्रदान करना।
- अध्यापक द्वारा प्रासंगिक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी), फ़िल्म, विज्ञापन, स्टोरी बुक, यूट्यूब आदि से ऑडियो-विजुअल क्लिप का उपयोग कर विद्यार्थियों को सार्थक और रुचिकर शिक्षा प्रदान करना।

निष्कर्ष

बेहतर समाज, बेहतर बच्चों से बनता है, अत: उन्हें स्वस्थ बचपन देना हम सभी का कर्तव्य है। वर्तमान युग में युवा पीढ़ी के यौन संबंधी मूल्यों में गिरावट आ रही है। यौन शिक्षा के अभाव में बालक एवं बालिकाएँ युवावस्था में भटक जाते हैं तथा भिन्न-भिन्न भ्रातियों के कारण वे गलत कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। वर्तमान में बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, बाल अपराध, मादक पदार्थों के सेवन की लत, बाल शोषण, शाब्दिक अभद्रता तथा विवाह-पूर्व गर्भधारण आदि समस्याओं से समाज को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में यौन शिक्षा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है, जितना की दूसरे विषयों का। इस विषय की आवश्यकता को समझते हुए इसे विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम

में सम्मिलित करना चाहिए तथा इस विषय की विषयवस्तु को अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को मानसिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध करने के लिए यौन शिक्षा भी दी जानी आवश्यक है। विशेषकर आज की डिजिटल दुनिया में यह और भी आवश्यक हो गई है, ताकि बच्चे बढ़ती उम्र के साथ होने वाले शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके लिए अभिभावकों और अध्यापकों को एक मार्गदर्शक या परामर्शदाता के रूप में भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ

चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन. childlineindia.org से अप्रैल 2022 में लिया गया।

दिल्ली पुलिस. स्पेशल यूनिट फ़ॉर वुमन एंड चिल्ड्रन सेफ़्टी. 22 मार्च 2022 को delhipolice.gov.in से लिया गया.

मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. 2007. स्टडी ऑन चाइल्ड एब्यूज़ इंडिया. नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

————. 2019. *प्रशिक्षण एवं संसाधन सामग्री. विद्यालय जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण.* प्रथम संस्करण. 2020.

————. 2020 *प्रशिक्षण एवं संसाधन सामग्री*. प्रथम संस्करण.

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, यौन शोषण पर रिपोर्ट 2011.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.). ncpcr.gov.in. से प्राप्त किया गया.

सकेन, फ्यूचर. 2004. ह्यूमैन राइट्स वॉच. बुक ऑन चाइल्ड सेफ़्टी (एच.आई.वी./एड्स). पृष्ठ 73.

सिंह, सुषमा और वीनिता शर्मा. 2020. उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति— एक अध्ययन. *शृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका*. भाग 8. अंक 4.

स्वापक औषध और मनोपरिवर्तक मादक द्रव्य अधिनियम, 1985. इकाई-4. 21 अप्रैल 2022 को BFEI-103-H-B2-UH pdf से लिया गया.

https://borgenproject-org./5-factsaboutsexeducation-in-india/. से प्राप्त किया गया है।